



प्रेस विज्ञप्ति



राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 के दौरान प्रमुख चौराहों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गांवों में यातायात जन जागरूकता कार्यक्रम

दिनांक:-05.01.2025

श्रीमान राजेन्द्रसिंह पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार श्री राजर्षि राज पुलिस उपायुक्त यातायात जोधपुर, के सुपरविजन में श्री दुर्गाराम चौधरी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात जोधपुर के नेतृत्व सड़क सुरक्षा माह-2025 के दौरान दिनांक-04.01.2025 को प्रथम पुलिस चौपासनी रोड तथा पांचबती चौराहा पर श्रीमती परमेश्वरी उप निरीक्षक पुलिस यातायात, श्री हिम्मतसिंह उप निरीक्षक पुलिस यातायात मय यातायात शिक्षा टीम के यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्रीमान अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात जोधपुर द्वारा यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी देते हुए मानव जीवन के महत्व को समझाया तथा आमजन व वाहन चालकों को वाहन चलाते समय अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए शत प्रतिशत यातायात नियमों की पालना करने की समझाईश की गई तथा यातायात नियमों की पीपीटी दिखाई व सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई।

इसी क्रम में दिनांक 05.01.2025 को जोधपुर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-25 पर स्थित गांव डांगियावास तथा दांतिवाड़ा में संबंधित क्षेत्राधिकार पुलिस थाना डांगियावास से समन्वय स्थापित कर श्री प्रदीप कुमार गोयल सहायक पुलिस आयुक्त यातायात पश्चिम, श्री हिम्मतसिंह उप निरीक्षक पुलिस यातायात, श्री मनोज कुमार थानाधिकारी पुलिस थाना डांगियावास के मय यातायात शिक्षा टीम द्वारा यातायात शिक्षा मोबाईल वैन के माध्यम से यातायात नियमों की पीपीटी तथा हेलमेट लघु फिल्म दिखाकर यातायात शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी देते हुए सड़क दुर्घटनाएँ व इनसे होने वाली मौतों के वर्षवार आँकड़े बताते हुए इसमें कमी लाने हेतु समझाईश के साथ अपील की गई। ग्रामीणजनों को हेलमेट लगाने, सीटबेल्ट लगाने, निर्धारित गति से तेज नहीं चलाने, वाहन चलाते समय मोबाईल पर बात नहीं करने, गलत दिशा में वाहन नहीं चलाने, नशा करके वाहन नहीं चलाने तथा नाबालिग को वाहन नहीं चलाने की विशेष समझाईश की। मृत्यु के प्रमुख कारणों में पालतू/आवारा पशुओं के सड़क पर आने के कारण होने वाली दुर्घटना से मालिकों को इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी दी गई। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पालतू पशु मलिकों व ग्रामीण आमजन को पशुओं को सड़कों पर से हटाने के आवश्यक उपाय करने बाबत समझाईश के साथ पशुओं के सीगों पर लगाने के लिए रिफ्लेक्टर दिये जाकर यातायात नियमों के पेम्पलेट वितरित किये गये।

आमजन व वाहन चालकों को सड़क पर चढ़ते व उतरते समय व सड़क को पार करते समय रखी जाने वाली सावधानियों तथा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरन्त अस्पताल पहुंचाने व त्वरित मदद करने वाले गुड सेमेरिटन (अच्छे मददगार) के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों एवं “मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना” के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। यातायात पुलिस आयुक्तालय जोधपुर द्वारा समस्त आमजन से अपील की जाती है कि अपना वाहन यातायात नियमों की पूर्ण पालना करते हुए चलायें।

सड़क सुरक्षा माह की थीम- “CARE” “परवाह”

(दुर्गाराम चौधरी)

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त
यातायात आयुक्तालय जोधपुर







